GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 675
TO BE ANSWERED ON 24.07.2023

Green Credits

675. SHRI BHOLA SINGH:
SHRI VINOD KUMAR SONKAR:
SHRI P.C. MOHAN:
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO:
SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK:
DR. SUKANTA MAJUMDAR:
SHRI RAJVEER SINGH (RAJU BHAIYA):
SHRI SUSHIL KUMAR SINGH**:**

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether a draft for Green Credit Programme (GCP) 2023 has been proposed, if so, its key details;
(b) whether the Green Credit System will include a wider range of tradable environmental obligations than traditional carbon credit systems, if so, the scope and trading mechanisms of these obligations;
(c) whether the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) will manage the GCP, and if so, the details of plan for developing, implementation procedures and guidelines;
(d) whether the GCP is designed to incentivize multiple ecosystem services beyond just carbon reductions, and if so, the mechanisms to quantify these services;
(e) whether concerns over potential Greenwashing in the green credits/market have been raised and if so, the Government's response and planned mitigation measures;
(f) whether a robust methodology and demand generation strategies for Green Credit has been formulated to ensure market stability and if so, the details thereof;
(g) whether the Government has identified sectors including increasing the green cover through tree plantation across the country, promoting water conservation, water harvesting and water use efficiency/savings etc. for the implementation of the Green Credit programme and if so, the details thereof; and
(h) the steps being taken to create a mass movement around environmental positive actions and realise the vision of "Mission LiFE" to achieve net zero goal of 2070?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY)

(a) to (h). Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified 'Draft Green Credit Programme Implementation Rules 2023' on 26.06.2023 for public consultation. The draft notification is enclosed at Annexure - I. Final notification will be issued after considering the comments received from stakeholders.

The draft notification envisages following:

i. Green Credit Programme (GCP) is proposed as a market-based mechanism for incentivizing environment friendly actions. This will also promote LiFE movement which aims at promoting mindful utilisation of resources.
ii. Sectors identified for the GCP include - (i) tree plantation, (ii) water conservation, (iii) sustainable agriculture, (iv) waste management, (v) air pollution reduction, (vi) mangrove conservation and restoration, (vii) Ecomark and (viii) sustainable infrastructure. A phased approach for implementation of the GCP will be adopted.
iii. ICFRE is designated as GCP Administrator and will be responsible for implementation of the GCP including its management, monitoring and operation. This inter-alia will entail development of methodologies, guidelines and procedures for generation of green credits from each identified activity.
iv. Thresholds and benchmarks will be developed for each Green Credit activity for generating and issuance of Green Credits. Environmental outcome achievable by any Green credit activity will be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters. Digital processes will be used for self-assessment of eligible green credit activities, registration of activities, issuance of green credits, monitoring of performance and other relevant processes.
v. Rule 12 of the draft notification contains provisions for demand generation.

*****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246825
CG-DL-E-27062023-246825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2659] **नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945**
No. 2659] **NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2023

का.आ. 2779(अ).—भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने, संरक्षण एवं संयम की परंपराओं और मूल्यों पर आधारित स्वस्थ एवं सतत जीवन-शैली का प्रचार-प्रसार करने हेतु पर्यावरण संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए, तथा सतत और पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए जमीनी स्तर पर एक जन-आंदोलन के रूप में **'लाइफ'-** 'पर्यावरण के लिए जीवन-शैली' की शुरूआत की;

और, **'मिशन लाइफ'**, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उपभोक्ता/समुदाय को व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की दिशा में प्रेरित करके सतत जीवन-शैलियों को प्रोत्साहित करना है। इसको बढ़ावा देने हेतु एक परिवर्तनात्मक बाजार-आधारित तंत्र की आवश्यकता है;

और, इसे सक्षम बनाने हेतु, एक प्रतिस्पर्धी बाजार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है जिससे विभिन्न हितधारकों के पर्यावरण संबंधी स्वैच्छिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत/सामुदायिक व्यवहार को प्रोत्साहन देने के अलावा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों तथा निकायों को अन्य वैधानिक कार्यढांचों के तहत निर्धारित अपने मौजूदा दायित्वों को ऐसी कार्रवाइयां करके पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करेगा जो ग्रीन क्रेडिट सृजित करने या खरीदने हेतु प्रासंगिक कार्यकलापों के साथ समन्वय स्थापित करने में सक्षम हों;

और, ग्रीन क्रेडिट विभिन्न सेक्टरों और निकायों से सृजित होंगे-लघु स्तर पर जैसे व्यक्तियों, कृषक उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों और सतत कृषि उद्यमों से लेकर, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, निजी

क्षेत्रों, उद्योगों और संगठनों के स्तर पर। ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य परिणाम होंगे और प्रोत्साहनों के रूप में कार्य करेंगे। आंरभ में, ग्रीन क्रेडिट ऐसे व्यक्तियों और निकायों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो चयनित कार्यकलापों में संलग्न हैं और जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियां संचालित करते हैं। ये ग्रीन क्रेडिट घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर व्यापार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे;

और, ग्रीन क्रेडिट सृजित करने वाले किसी पर्यावरणीय कार्यकलाप से कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने या उसे दूर करने जैसे जलवायु संबंधी सह-लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत ग्रीन क्रेडिट सृजित करने वाले किसी कार्यकलाप को कार्बन बाजार के तहत कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त हो सकते हैं;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा 2 (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 'ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम' नामक एक घरेलू स्वैच्छिक बाजार तंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। केंद्रीय सरकार ने अब इस अधिसूचना से संभावित रूप से प्रभावित होने वाली जनता के सूचनार्थ 'प्रारूप ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023' के लिए एक अधिसूचना का प्रस्ताव किया है और एतद्वारा नोटिस दिया गया है कि आधिकारिक राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना पर विचार किया जाएगा;

उक्त अधिसूचना के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को ईमेल पता: sohsmd-mef@gov.in पर भेजे जा सकते हैं;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य - (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (इसमें इसके पश्चात् 'कार्यक्रम' के रूप में संदर्भित) के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क. व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों, सतत कृषि उद्यमों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्रों, उद्योगों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्रवाईयां करने के लिए ग्रीन क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक बाजार आधारित तंत्र का सृजन करना;

ख. पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्रवाईयां करने के लिए जन आंदोलन का संचालन करना और प्रो-प्लैनेट पीपल तथा संस्थाओं के माध्यम से **"मिशन लाइफ"** के विजन को साकार करना।

3. परिभाषांए – (1) इस कार्य ढांचे में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी-

क. **'मान्यता प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता'** से तात्पर्य, कार्यक्रम के संबंध में सत्यापन कार्यकलाप करने हेतु ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक द्वारा मान्यता प्रदान की गई तथा प्राधिकृत की गई इकाई से है;

ख. **'अधिनियम'** से तात्पर्य, समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) से है;

ग. **'ग्रीन क्रेडिट'** का अर्थ है किसी विनिर्दिष्ट गतिविधि हेतु प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संबंधी एक एकल इकाई, जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है;

घ. **'पंजीकृत इकाई'** का अर्थ है कोई भी इकाई, जो ग्रीन क्रेडिट सृजित करने हेतु पंजीकृत है;

ङ. **'रजिस्ट्री'** का अर्थ है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम प्रशासक या इसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा ग्रीन क्रेडिट जारी करने और विनिमय करने संबंधी रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सिस्टम;

च. **'तृतीय-पक्ष प्रमाणनकर्ता'** का अर्थ एक ऐसी इकाई है जो इसके पंजीकरण के लिए किसी गतिविधि को प्रमाणित करती है;

छ. **'सत्यापन'** का अर्थ है ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता द्वारा ग्रीन क्रेडिट गतिविधि का स्वतंत्र मूल्यांकन;

ज. **'सूचीबद्ध लेखा-परीक्षक**' का अर्थ है कार्यक्रम की संपूर्ण प्रणाली के लेखा परीक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध एक इकाई।

(2) इस नियम में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उक्त अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी अन्य नियम या विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम या ऐसे अन्य नियम या विनियम में दिया गया है।

4. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का कार्यान्वयन तंत्र -(1) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध और पुनरावृत्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में, कार्यक्रम को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए खंड (2) में इंगित क्षेत्रों से दो से तीन गतिविधियों पर विचार किया जाएगा। बाद के चरणों में चयनित क्षेत्रों से और गतिविधियाँ जोड़ी जाएंगी। केंद्र सरकार की मंजूरी से इसमें और क्षेत्र भी जोड़े जा सकते हैं।

(2) संबंधित उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम के लिए पहचाने गए क्षेत्र इस प्रकार हैं:

i. **वृक्षारोपण-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हरित आवरण बढ़ाने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना।

ii. **जल-आधारित ग्रीन क्रेडिट:** अपशिष्ट जल के शोधन और पुन: उपयोग सहित जल संरक्षण, जल संचयन और जल उपयोग दक्षता/बचत को बढ़ावा देना।

iii. **सतत कृषि आधारित ग्रीन क्रेडिट:** उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार हेतु प्राकृतिक और पुनरूत्पादक कृषि प्रथाओं और भूमि पुनःबहाली को बढ़ावा देना।

iv. **अपशिष्ट प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट:** संग्रहण, पृथक्करण और शोधन सहित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सतत और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना।

v. वायु प्रदूषण में कमी आधारित ग्रीन क्रेडिट: वायु प्रदूषण को कम करने और अन्य प्रदूषण उपशमन गतिविधियों के उपायों को बढ़ावा देना।

vi. मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन आधारित ग्रीन क्रेडिट: मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना।

vii. इकोमार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट: निर्माताओं को अपने सामान और सेवाओं के लिए इकोमार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

viii. सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट: सतत प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(3) **ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति:**

i. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने और जारी करने के लिए प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट गतिविधि के लिए सीमाएं और मानदण्ड विकसित किए जाएंगे। किसी भी कानून के तहत किसी भी दायित्व के मामले में, सीमाएं और मानदण्ड उस दायित्व के अनुरूप होंगे।

ii. विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता बनाए रखने के लिए, किसी भी ग्रीन क्रेडिट गतिविधि द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पर्यावरणीय परिणाम, संसाधन आवश्यकता की समानता, पैमाने की समानता, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों पर आधारित होगा, और प्रत्येक गतिविधि के संबंध में, ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

iii. कार्यक्रम के लिए डिजिटल प्रक्रियाएं विकसित और स्थापित की जाएंगी जिनमें योग्य ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों का स्व-मूल्यांकन, गतिविधियों का पंजीकरण, ग्रीन क्रेडिट जारी करना, प्रदर्शन की निगरानी और अन्य प्रासंगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

5. संचालन समिति और उसके कार्य – (1) इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम का प्रशासन संचालन समिति में निहित होगा। संचालन समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ, उद्योग संघ और अन्य प्रासंगिक हितधारक शामिल होंगे।

(2) **संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:**

i. निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदन प्रदान करें:

क. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं;

ख. मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए दिशानिर्देश;

ग. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य प्रासंगिक मामले।

ii. निम्नलिखित के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करें:

क. कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली गतिविधियां और क्षेत्र;

ख. कार्यक्रम के लिए मांग सृजित करने हेतु उपाय।

ग. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित कोई भी मामला।

iii. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी;

iv. कोई अन्य कार्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है।

6. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम प्रशासक और उसके कार्य – (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम प्रशासक (इसके बाद 'प्रशासक' के रूप में संदर्भित) इसके प्रबंधन, निगरानी और संचालन सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कार्यक्रम का प्रशासक होगा।

(3) प्रशासक के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों, कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना;

ii. ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों के पंजीकरण और ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को विकसित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक गतिविधि हेतु तकनीकी या क्षेत्रीय समितियों का गठन करना;

iii. कार्यप्रणालियां, मानक, पंजीकरण प्रक्रिया और संबंधित मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन तंत्रों को विकसित करना;

iv. प्रत्येक निर्धारित गतिविधि से सृजित ग्रीन क्रेडिट की समतुल्यता के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करना;

v. प्रत्येक गतिविधि के लिए डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करने, ग्रीन क्रेडिट के स्व-प्रमाणन और ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट पंजीकरण तथा व्यापार प्लेटफार्म की स्थापना तथा संचालन करना, तृतीय पक्ष प्रमाणनकर्ताओं, ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ताओं की मान्यता हेतु ग्रीन क्रेडिट के अनुदान और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश विकसित करना।

vi. अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री, तृतीय पक्ष प्रमाणनकर्ताओं, ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ताओं, और व्यापार सेवा प्रदाता को मान्यता देना;

vii. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री, तृतीय-पक्ष प्रमाणनकर्ताओं, ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ताओं और व्यापार सेवा प्रदाता को पंजीकृत करना;

viii. कार्यक्रम के लिए आवश्यक सूचना और डेटा प्लेटफार्म स्थापित करने हेतु एजेंसी मान्यता प्रदान करना;

ix. कार्यक्रम पोर्टल के साथ-साथ ज्ञान और डेटा प्लेटफार्म और पंजीकृत संस्थाओं से शुल्क संग्रहण के लिए दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल विकसित करना;

x. प्रमाणन एजेंसी, तृतीय-पक्ष प्रमाणनकर्ताओं, ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ताओं और व्यापार सेवा प्रदाताओं की वार्षिक विवरणी और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना;

xi. अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करना;

xii. अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत इकाई से शुल्क एकत्र करना;

xiii. ग्रीन क्रेडिट के व्यापार के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बाजार स्थिरता तंत्र की स्थापना और संचालन के लिए (यदि आवश्यक हो) दिशानिर्देश विकसित करना;

xiv. हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण, मीडिया और आउटरीच गतिविधियों का संचालन करना;

xv. प्रमाणन एजेंसी, तृतीय-पक्ष सत्यापनकर्ताओं, ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ताओं और व्यापार सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणियों और प्रगति रिपोर्टों का संकलन करना;

xvi. संचालन समिति या केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

7. तकनीकी समिति एवं उसके कार्य - (1) प्रशासक, ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों के पंजीकरण और ग्रीन क्रेडिट के अनुदान के लिए कार्यप्रणालियों, मानकों और प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु प्रत्येक गतिविधि के लिए तकनीकी या क्षेत्रीय समितियों का गठन कर सकता है;

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सदस्यों के साथ-साथ संगठन और विषय विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए;

(3) तकनीकी समिति विकसित करने का कार्य करेगी और प्रशासक को सिफारिशें करेगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. प्रत्येक गतिविधि के मामले में पर्यावरणीय कार्रवाई के आधार पर ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई के आवंटन के लिए कार्यप्रणाली और ग्रीन क्रेडिट की अनुकूलता एवं समतुल्यता सुनिश्चित करना;

ii. प्रत्येक गतिविधि के संबंध में मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी कार्यतंत्र;

(4) तकनीकी समिति, प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य तकनीकी मामले पर सलाह देगी।

8. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और उसके कार्य - (1) प्रशासक या उसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा कार्यक्रम के लिए ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना और रखरखाव किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के रूप में होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीन क्रेडिट जारी करने, धारित करने, अंतरित करने और अधिगृहीत करने संबंधी सामान्य डेटा सिद्धांत शामिल होंगे। 'ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री' की संरचना और डाटा प्रारूप अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री समय-समय पर प्रासंगिक दिशा निर्देशों में विनिर्दिष्ट तरीके से निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल होंगे:

i. संस्था का पंजीकरण और ग्रीन क्रेडिट प्रदान करना और अभिलेखन करना

ii. हितधारकों द्वारा ग्रीन क्रेडिट के निर्गमन, रक्षण, हस्तांतरण और अधिग्रहण का यथार्थ लेखांकन सुनिश्चित करना

iii. सभी आवश्यक और मूलभूत सुरक्षा मानकों सहित सुरक्षित डाटाबेस बनाए रखना;

iv. सभी लेन-देनों का रिकार्ड रखना;

v. डाटाबेस में सुरक्षा संबंधी उल्लंघन के कारण ऐसी संस्था को हुई किसी भी हानि, जो उस संस्था पर आरोप्य न हो, की स्थिति में पंजीकृत संस्थाओं को क्षतिपूर्ति देना;

vi. अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ संपर्क स्थापित करना

vii. संचालन समिति द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना;

viii. प्रासंगिक दिशा-निर्देशों में नियत कोई अन्य कार्य

9. ट्रेडिंग प्लेटफार्म- (1) ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रशासक द्वारा संचालन समिति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट के आदान-प्रदान के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासक से मान्यता प्राप्त ट्रेडिंग सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

(3) ट्रेडिंग सेवा प्रदाता अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट की ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करेगा।

10. ज्ञान और डाटा प्लेटफार्म – (1) ज्ञान और डाटा प्लेटफार्म निष्पादित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए और कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय प्रगति की सूचना देने के लिए तैयार किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफार्म होगा;

(2) यह प्लेटफार्म ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री से प्राप्त मुख्य डाटा बिंदुओं और अन्य सूचना यथा क्षेत्रीय उपलब्धि, सर्वोत्तम कार्य-प्रथाओं, क्षमता निर्माण संबंधी जानकारी आदि का संग्रहण कर सकता है।

11. मान्यता-प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता – (1) प्रशासक संस्थाओं को अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार 'मान्यता-प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता' के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान करेगा।

(2) मान्यता–प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता सत्यापन का कार्य करेंगे और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रशासक के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(3) मान्यता-प्राप्त ग्रीन क्रेडिट सत्यापनकर्ता दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासक के लिए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा।

12. ग्रीन क्रेडिट के लिए मांग बनाना – (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम सभी हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगा।

(2) संचालन समिति देश में ग्रीन क्रेडिट के लिए स्वैच्छिक मांग पैदा करने के उपायों की अनुशंसा करेगी।

(3) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सं. एफसी-11/159/2022-एफसी दिनांक 24 जनवरी, 2023 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत मान्यता-प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पंजीकृत सभी संस्थाएं इस कार्यक्रम के तहत 'ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री' में पंजीकरण करेंगी। इन दिशानिर्देशों के तहत वन भूमि के अपवर्तन तथा इस कार्यक्रम के तहत ग्रीन क्रेडिट के आवंटन के लिए मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में विचार हेतु पात्र होगा।

13. सूचीबद्ध लेखा-परीक्षक- (1) केन्द्र सरकार कार्यक्रम की क्रियाविधि और कार्य-प्रबंधन की संपूर्ण प्रणाली की लेखा परीक्षा के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध कर सकती है।

[फा. सं. 12/24/2023- एचएसएम]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2023

S.O. 2779(E).—Whereas, Government of India introduced 'LiFE'– 'Lifestyle for Environment', as a grass-root, mass movement for combating climate change, enhancing environment actions to propagate a healthy and

sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation, and for sustainable and environment-friendly development.

And whereas, an innovative market-based mechanism is required to promote the LiFE movement which aims at encouraging sustainable lifestyles by driving consumer/community towards behavioural changes to incentivize environment friendly practices.

And whereas, to enable this, a Green Credit Programme is proposed to be launched at national level to leverage a competitive market-based approach for Green Credits thereby incentivising voluntary environmental actions of various stakeholders. Apart from incentivizing individual/community behavior, the Green Credit Programme will encourage private sector industries and companies as well as other entities to meet their existing obligations, stemming from other legal frameworks, by taking actions which are able to converge with activities relevant for generating or buying Green Credits.

And whereas, Green Credits will arise from a range of sectors and entities, ranging from small-scale ones– such as, individuals, Farmer Producer Organisations, cooperatives, forestry enterprises and sustainable agriculture enterprises; to those being developed at the level of Urban and Rural Local Bodies, private sectors, industries and organisations. Green Credits will be tradable outcomes and will act as incentives. In the beginning, Green Credits will be made available to individual and entities, engaged in selected activities and who undertake environmental interventions. These Green Credits will be made available for trading on a domestic market platform.

And whereas, an environmental activity generating Green Credits may have climate co-benefits such as reduction or removal of carbon emissions. An activity generating Green Credits under Green Credit Programme may also get Carbon Credits from the same activity under carbon market.

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section 2(iii) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government has decided to institute a domestic voluntary market mechanism -- the Green Credit Programme. The Central Government has now proposed a notification for 'draft Green Credit Programme Implementation Rules 2023' for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said Notification within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh road, New Delhi - 110003, and may be sent to e-mail id: sohsmd-mef@gov.in

1. Short Title and Commencement – (1) These rules may be called the Green Credit Programme Implementation Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives of the Green Credit Programme – (1) The main objectives of the Green Credit Programme (herein after referred as 'Programme') are as follows: -

a. Create a market based mechanism for providing incentives in the form of Green Credits to individuals, Farmer Producer Organisations, cooperatives, forestry enterprises, sustainable agriculture enterprises, Urban and Rural Local Bodies, private sectors, industries and organisations for environment positive actions;

b. Create mass movement around environment positive actions and realise the vision of **"Mission LiFE"** through pro-planet-people and entities.

3. Definitions – (1) In this framework, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply -

a. **'Accredited Green Credit Verifier'** means an entity accredited and authorized by the Green Credit Programme Administrator to carry out verification activities in respect of the Programme;

b. **'Act'** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), as amended from time to time;

c. **'Green Credit'** means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment;

d. **'Registered Entity'** means any entity, registered for generation of Green Credits;

e. **'Registry'** means an electronic database system maintained by Green Credit Programme Administrator or its accredited agency to record issuance and exchange of Green Credits;

f. **'Third-party certifiers'** means an entity that certifies an activity for its registration;

g. **'Verification'** means an independent evaluation of the green credit activity by the accredited Green Credits Verifier for acquiring Green Credits;

h. **'Empaneled Auditors'** means an entity empaneled by the Central Government for auditing the entire system of the Programme.

(2) Words and expressions used in this rules and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 or any other rules or regulations issued under the said Act, shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act, or such other rules or regulations.

4. Implementation Mechanism of the Green Credit Programme – (1) A phased and iterative approach for implementation of the Programme will be adopted. In the initial phase, two to three activities from the sectors indicated in clause (2) will be considered for designing and piloting the Programme. More activities will be added from the selected sectors in subsequent phases. More sectors can also be added with the approval of the Central Government.

(2) Sectors identified for the Programme with respective objectives are as follows:

i. **Tree Plantation-based Green Credit:** To promote activities for increasing the green cover across the country through tree plantation and related activities.

ii. **Water-based Green Credit:** To promote water conservation, water harvesting and water use efficiency/savings, including treatment and reuse of wastewater.

iii. **Sustainable Agriculture based Green Credit:** To promote natural and regenerative agricultural practices and land restoration to improve productivity, soil health and nutritional value of food produced.

iv. **Waste Management based Green Credit:** To promote sustainable and improved practices for waste management, including collection, segregation and treatment.

v. **Air Pollution Reduction based Green Credit:** To promote measures for reducing air pollution and other pollution abatement activities.

vi. **Mangrove Conservation and Restoration based Green Credit:** To promote measures for conservation and restoration of mangroves.

vii. **Ecomark based Green Credit:** To encourage manufacturers to obtain Ecomark label for their goods and services.

viii. **Sustainable building and infrastructure based Green Credit:** To encourage the construction of buildings and other infrastructure using sustainable technologies and materials.

(3) **Methodology of generating Green Credits:**

i. Thresholds and benchmarks will be developed for each Green Credit activity for generating and issuance of Green Credits. In case of any obligation under any law, the thresholds and benchmarks will be aligned with that obligation.

ii. To maintain fungibility across sectors, the environmental outcome, achievable by any Green Credit activity, will be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters, and will be considered for allocation of one unit of Green Credit in respect of each activity.

iii. Digital processes will be developed and established for the Programme including self-assessments of eligible Green Credit activities, registration of activities, issuance of Green Credits, monitoring of performance and other relevant processes.

5. Steering Committee and its functions – (1) The governance of the Programme for its effective implementation shall vest in the Steering Committee. The Steering Committee will comprise of representatives from the concerned Ministries/Departments, domain experts, industry associations and other relevant stakeholders.

(2) **Steering Committee shall have the following functions:**

i. Grant approvals in respect of the following:

a. procedures, guidelines and processes in respect of implementation of the Programme;

b. guidelines for Measurement, Reporting and Verification;

c. other relevant matters in respect of implementation of the Programme.

ii. Make recommendations to the Central Government in respect of following:

a. activities and sectors to be included in the Programme;

b. measures to create demand for the Programme.

c. any matter referred by the Central Government.

iii. Review and monitoring of the implementation of Programme;

iv. Any other function as may be assigned by the Central Government.

6. Green Credit Programme Administrator and its functions – (1) The Green Credit Programme Administrator (herein after referred as 'Administrator') shall be responsible for implementation of the Programme including its management, monitoring and operation.

(2) The Indian Council of Forestry Research and Education shall be the Administrator of the Programme.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following:

i. Develop guidelines, processes and procedures for implementation of the Programme;

ii. Constitute Technical or Sectoral committees for each activity to facilitate in developing methodologies and processes for registration of Green Credit activities and issuance of Green Credits;

iii. Develop methodologies, standards, registration process and associated Measurement, Reporting and Verification mechanisms;

iv. Establish methodologies and processes for equivalence of Green Credits generated from each identified activity;

v. Develop guidelines for establishment and operation of Green Credit Registry and trading platform, for issuance of digital Green Credits for each activity, for self-certification of Green Credits, and for accreditation of Green Credit Registry , third-party certifiers, Green Credit Verifiers, for grant of Green Credits, and for auditing of the Green Credit Programme;

vi. Accredit the Green Credit Registry, third-party certifiers, Green Credit Verifiers and Trading Service Provider in accordance with the approved guidelines;

vii. Register the Green Credit Registry, third-party certifiers, Green Credit Verifiers and Trading Service Provider;

viii. Accredit agency for establishing Knowledge and Data platform required for the Programme;

ix. Develop guidelines and protocols for the Programme portal as well as knowledge and data platform, and for collection of fees from registered entities;

x. Develop guidelines for filing of annual returns and progress reports of certification agency, third-party certifiers, Green Credit Verifiers and Trading Service Provider;

xi. Issue digital Green Credits as per the approved guidelines;

xii. Collect fees from Registered Entity as per the approved guidelines;

xiii. Develop guidelines for establishment and operation of trading platform and market stability mechanism (if required) for trading of Green Credits;

xiv. Conduct capacity building, media and outreach activities for the stakeholders;

xv. Compile the annual returns and progress reports submitted by the certification agency, third-party verifiers, Green Credit Verifiers and Trading Service Provider;

xvi. Any other function assigned by the Steering Committee or Central Government.

7. Technical Committee and its functions - (1) The Administrator may constitute technical or sectoral committees for each activity for developing methodologies, standards and processes for registration of Green Credit activities and grant of Green Credits;

(2) Each Technical Committee shall comprise of members from concerned Ministries/ Departments as well as organisations and subject matter experts;

(3) Technical Committee shall develop and make recommendations to the Administrator which will inter-alia include:

i. Methodologies for allocation of one unit of Green Credit on the basis of environmental action in case of each activity ensuring fungibility and equivalence of Green Credits;

ii. Mechanism for Measurement, Reporting and Verification process in respect of each activity;

(4) Technical Committee shall advise on any other technical matter referred by the Administrator.

8. Green Credit Registry and its functions – (1) The Administrator or its accredited agency shall establish and maintain the registry for the Programme. The Green Credit registry will be in the form of a standardized electronic database which contains inter-alia common data elements relevant to the issuance, holding, transfer and acquisition of

Green Credits. The structure and data formats of the Green Credit Registry shall conform to the prescribed technical standards as per the approved guidelines.

(2) The Green Credit Registry shall discharge the following functions, in the manner, as may be specified in the relevant guidelines from time to time which will inter-alia include:

i. Registration of entity and grant and recording of Green Credits;

ii. Ensure accurate accounting of the issuance, holding, transfer and acquisition of green credits by the stakeholders;

iii. Maintain secure database with all required and essential security protocols;

iv. Maintain records of all transactions;

v. Indemnify registered entities in case of any loss caused to such entity due to security breach in the database, not attributable to such registered entity;

vi. Establish linkages with other National and International registries;

vii. Comply with the directions issued by the Steering Committee;

viii. Any other function assigned in the relevant guidelines.

9. Trading Platform – (1) The guidelines for the establishment and operation of the Trading Platform shall be issued by the Administrator with the approval of Steering Committee.

(2) The trading platform for the exchange of Green Credits shall be established by the Trading Service Provider accredited by the Administrator in accordance with the approved guidelines.

(3) The trading service provider shall perform functions regarding the trading of Green Credits, in accordance with the approved guidelines.

10. Knowledge and Data Platform - (1) The knowledge and data platform, will be an online platform developed for providing transparency on the various types of activities being undertaken and for reporting sectoral progress under the Programme;

(2) This platform may collate key data points generated from Green Credit Registry and other information such as sectoral achievements, best practices, information on capacity building, etc.

11. Accredited Green Credit Verifiers – (1) The Administrator will accredit the entities to act as Accredited Green Credit Verifiers in accordance with the approved guidelines;

(2) Accredited Green Credit Verifiers shall conduct verification and submit reports to the Administrator for grant of Green Credits in accordance with provisions of the guidelines;

(3) Accredited Green Credit Verifiers shall file annual returns to the Administrator in accordance with the guidelines;

12. Demand Generation for Green Credits -(1) The Green Credit Programme shall be based on voluntary participation of all stakeholders.

(2) Steering Committee shall recommend measures to generate voluntary demand for Green Credits in the country.

(3) All entities registered for Accredited Compensatory Afforestation under the guidelines issued by MoEFCC vide No.FC-11/159/2022-FC dated 24th January, 2023 shall register with the Green Credit Registry under the Programme. The Accredited Compensatory Afforestation will be eligible for consideration as Compensatory Afforestation for diversion of forest land under these guidelines subject to qualification and allocation of Green Credits under the Programme.

13. Empaneled Auditors- (1) The Central Government may empanel auditors for audit of the entire system of the Programme functioning and administration from time to time.

[F. No. 12/24/2023-HSM]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2023.06.27 15:26:35 +05'30'